



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)  
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2022/1699.....  
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 18.08.2022

महाप्रबंधक  
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र  
जिला कोरबा (छ.ग.)

संशोधित

विषय : Diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh. **RegistrationNo.FP/CG/MIN/13199/2015**

संदर्भ: 1. MOEF का पत्र क्र. F.No.8-41/2017-FC dt. 21.06.2022  
2. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/1742 दिनांक 20.07.2022 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/1948 दिनांक 17.08.2022  
3. कार्यालयीन पत्र क्र./तक.अधि./2022/3297 दिनांक 04.08.2022

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हे. हेतु अंतिम चरण स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र क्र. F.No.8-41/2017-FC dt. 21.06.2022 के माध्यम से प्रदान की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2022-23 के प्रचलित दर 8,78,787/- से संशोधित अंतर की निम्नानुसार राशि ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से जमा करें।

वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्ष 2022-23 अद्यतन दर

क्र.	विवरण	अद्यतन दर वर्ष 2022-23	कुल राशि	पूर्व में जमा	अंतर की राशि
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	112.385 X 2 X 878787 =	197524954/-	148403044/-	49121910/-
2	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु CA का 25 प्रतिशत		49381239/-	37100761/-	12280477/-
कुल योग :-					61402387/-

उपरोक्तानुसार राशि रु. 6,14,02,387/- (रूपये छः करोड़ चौदह लाख दो हजार तीन सौ सतासी रूपये मात्र) का ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में राशि जमा कर पावती प्रस्तुत करे। ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

क्रमांक/तक.अधि./2022/1699  
प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 18.08.2022

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/1948

रायपुर, दिनांक 17/08/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी  
कटघोरा वन मंडल, कटघोरा  
छत्तीसगढ़

**विषय: - Diversion of 112.385 ha. of Revenue Forest Land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL (Chhattisgarh) - reg.**

**संदर्भ: - 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र F.No. 8-41/ 2017 FC दिनांक 21.06.2022**

**2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल का पत्र क्रमांक/3298 दिनांक 04.08.2022**

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 21.06.2022 को अंतिम चरण की स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भित पत्र-2 द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्ष 2022-23 के प्रचलित दर से अंतर की राशि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1,20,21,149/- एवं मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु सी.ए का 25 प्रतिशत राशि रु. 30,05,287/- इस प्रकार कुल राशि रु. 1,50,26,436/- ई चालान जनरेट कर कैम्पा मद में राशि जमा कराने हेतु आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी किया गया है।

परीक्षण उपरांत मांग पत्र अनुसार मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु सी.ए का 25 प्रतिशत कुल राशि 19,75,24,954/- का 25 प्रतिशत 4,93,81,239/- होता है। अतः गणना अनुसार पुनरीक्षित मांग पत्र आवेदक संस्थान को जारी कर इस कार्यालय को अवगत करावे। अतः वेब चालान अमान्य किया जाता है।

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/ 1949

रायपुर, दिनांक 17/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्रा, जिला कोरबा।

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/1742

रायपुर, दिनांक 20/07/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी  
कटघोरा वन मंडल, कटघोरा  
छत्तीसगढ़

- विषय: - Proposal seeking prior approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha. of Revenue Forest Land Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL (Chhattisgarh) - reg.
- पंजीयन क्रमांक/ SAR/ SAR/SSR/ MJM/ 2005 / 016
- संदर्भ: - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ एफ नं./ 8-41/ 2017-एफ. सी दिनांक 21.06.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति में अधिरोपित संपत्तियों का निन्दुकर चलान प्रतिबन्धन एवं वृक्ष - पृथक वन वन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्ष 2022-23 के प्रवर्तित दर से अंतर की राशि देन पोर्टल पर ई-चलान के माध्यम से इस कार्यालय के अनुमोदन उपरंत केम्या खाता में जमा कराने हेतु आवेदक संस्थान को डिमांड नोट जारी करें।

वृक्ष विदोहन योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छत्तीसगढ़ से अनुमोदन कराकर विदोहन एवं परिवहन की राशि वन मंडलाधिकारी, के पी. डी. खाते में जमा करावें एवं आहरण की अनुमति इस कार्यालय से प्राप्त करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (06 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र०/भू-प्रबंध/खनिज/ 331-215/1742

रायपुर, दिनांक 20/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (06 पृष्ठीय)
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, कोरबा क्षेत्र, कोरबा।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़